

22/24

पगावली फौज वकील कादी अनुप रिष्यात ही वादी स्वयं भी  
अनुप रिष्यात है। उनकी ओर से कोई अन्य वकील भी उप रिष्यात  
नहीं है। बार-बार आवाजे लगावाई गई। परन्तु न्यायालय  
समय तक कोई भी उप रिष्यात नहीं हूथे। अतः राजस्व वाद  
प्र अहम हाजरी ~~अहम~~ अहम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। पगावली ~~फौज~~ फौजल शमार ~~को~~ नम्बर  
से कम होकर हाजिल दफ्तर है।

SDO, BILAPUR